

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/खरगोन/भूरा./2017/3473 विरुद्ध
आदेश दिनांक 17-7-17 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण
क्रमांक 445/अपील/2016-17.

भूरे सिंह पिता शंकर सिंह राजपूत मृत तर्फ वारिस-
मानसिंह उर्फ रुखड़िया पिता शंकरसिंह राजपूत
निवासी मांगरूल तहसील खरगोन

.....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन तर्फ हल्का पटवारी ग्राम मांगरूल
तहसील खरगोन जिला प. निमाड़

.....अनावेदक

सुश्री प्राची पगारे, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/५/१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-7-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के भाई स्व. भूरेसिंह पुत्र शंकर सिंह द्वारा तहसीलदार, खरगोन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मांगरूल स्थित खसरा नम्बर 197 पैकी खसरा नम्बर 197/1 रकबा 3.00 एकड़ भूमि पर दिनांक 30-7-1997 को उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में की गई झूठी शिकायत के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24-10-1998 को आदेश पारित कर उनके पक्ष में पारित आदेश दिनांक 30-7-1997 निरस्त कर दिया गया था। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मूल आवेदक स्व. भूरेसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने

100

2016

पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/अ-19/98-99 में दिनांक 16-6-2000 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24-10-1998 निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनके नाम भूमिस्वामी एवं कब्जेदार के रूप में दर्ज कर उनके पक्ष में भू-अधिकार पुस्तिका प्रदान किया जाये। नायब तहसीलदार, खरगोन द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-19/12-13 दर्ज कर दिनांक 16-12-2015 को आदेश पारित कर म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-4-1/2003/सात/2 ए दिनांक 4-12-2009 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि कृषि प्रयोजन हेतु भूमि बंटन पर रोक होने तथा सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खरगोन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11-4-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष दिनांक 7-7-17 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17-7-17 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :—

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में रिकार्ड अद्यतन करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को गुण-दोष पर आदेश पारित नहीं कर रिकार्ड अद्यतन करने संबंधी कार्यवाही करना चाहिए थी।

(2) तहसील न्यायालय ने राजस्व प्रकरणों हेतु निर्मित विधि एवं नियमों को अनदेखा करते हुए आवेदक के आवेदन पत्र पर ज्युडिशियल माईन्ड अप्लाय न करते हुए प्रकरण "अ-19" मद में दर्ज कर उसे लम्बित रखते हुए आवेदक को बिना कोई तारीख पेशी दिये निरस्त कर दिया गया, जिस पर दोनों अपीलीय न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया है।

(3) आवेदक को म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम, 1984) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किया गया था, लेकिन तहसील न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन व विधि की विवेचना किये आवेदक के आवेदन पत्र को कृषि पट्टा प्राप्त करने का माना है।

(4) म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समय-सीमा में किया जाना अनिवार्य है, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में रिकार्ड अद्यतन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण नहीं करते हुए अदम पैरवी में निरस्त किया है, जिस पर अपीलीय न्यायालयों ने भी कोई विचार नहीं किया है।

(5) आवेदक ने तहसील न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र दिनांक 19-5-2015 को प्रस्तुत किया था, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण को कई दिनों तक बगैर तारीख पेशी नियत किये निरस्त कर दिया गया है।

(6) विधि का सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार तहसील न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि वह वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करे, लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के परिपालन में रिकार्ड को पूर्व स्थिति में अद्यतन करने संबंधी आदेश पारित नहीं करते हुए अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के विरुद्ध अवमानना संबंधी कोई कार्यवाही नहीं कर, आवेदक की अपील निरस्त की गई, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है।

(7) सिविल वाद लंबित रहने संबंधी तथ्य अभिलेख पर नहीं होते हुए भी अपर आयुक्त द्वारा रिकार्ड से बाहर जाकर गलत रूप से अपील निरस्त की गई है।

(8) आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद उसके कब्जे को संरक्षित करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय से निरस्त किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 660/2008 के रूप में विचाराधीन होकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दिनांक 3-12-2008 को अंतिम सुनवाई में ग्राह्य करते हुए

Substantial Questions of Law निर्मित किये जाकर म.प्र. शासन एवं उक्त अपील के अन्य

प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी की भूमि में उसके कब्जे में दखल करने से निषेधित किया गया है, जिसका कोई भी प्रतिकूल कानूनी प्रभाव प्रश्नगत प्रकरण पर नहीं पड़ता है, फिर भी दोनों अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटिपूर्ण रूप से अपील निरस्त किया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 4-12-2009 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए बंटन पर रोक लगाई गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के पालन में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक का व्यवहार वाद निरस्त किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से आवेदक की अपील अग्राह्य करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिषक्तों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा दो माह के विलम्ब के आधार पर अपील को समय बाह्य माना गया है, जबकि अपर आयुक्त को न्यायहित में अपील को समय-सीमा में मान्य कर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था। अपर आयुक्त द्वारा जब यह माना है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के इन्तजार में यदि प्रकरण का निराकरण करने में कोई बाधा थी तो प्रकरण में कार्यवाही स्थगित करना चाहिए था न कि निरस्त। उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अपील को समयावधि में मान्य कर, माननीय उच्च

न्यायालय से आदेश होने तक प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखें एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के उपरान्त उक्त आदेश के प्रकाश में प्रकरण का विधिवत निराकरण करें।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर